


आदेश

राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित के इष्टिगत, नोयेल कोरोना वाइरस (COVID-19) य उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के सभूह में एकत्रित / उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतियात के रूप में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है -

1. मध्यप्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा।
2. मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 05 एवं कक्षा 08 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
3. मध्यप्रदेश में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाओं (चाहे वे किसी भी सक्षम बोर्ड/प्रबंधन के तत्वावधान में आयोजित की जा रही हो) का आयोजन यथावत पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
4. उक्त अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में समस्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय/अकादमिक कार्य सम्पादित करेंगे।
5. उक्त अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त निजी विद्यालय, शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ की विद्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में अपने स्तर पर स्वयंवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रमेश भुशन शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 13.03.2020

पृष्ठांकन क्रमांक 484 / 670 / 2020/20 -2

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी

2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनजातीय कार्य विभाग/गृह विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/ चन विभाग / सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग श्रम विभाग येत एवं युवक कल्याण विभाग/ महिला एवं बाल विकास विभाग
3. विशेष सहायक , माननीय मंत्रीजी , स्कूल शिक्षा विभाग
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
5. स्टाफ ऑफिसर , अपर मुख्य सचिव एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन , मंत्रालय
6. आयुक्त , लोक शिक्षण संचालनालय
7. आयुक्त, जनसंपर्क म.प्र.
8. संचालक , राज्य शिक्षा केंद्र
9. समस्त संभागायुक्त , मध्य प्रदेश
10. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
11. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षां मंडल भोपाल
12. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत (समस्त)
14. संचालक , मध्यप्रदेश औपन बोर्ड , भोपाल
15. निदेशक , महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान , भोपाल
16. सचिव,मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.
18. जिला शिक्षा अधिकारी , समस्त , मध्यप्रदेश
19. समस्त जिला धरियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र मप्र
20. सहायक आयुक्त ,आदियासी विकास , समस्त की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संधीर कुमार कोचर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग

13/3/2021